राजस्व–अज–103

# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पुराना पावर हाउस, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर

पत्र कमांक / अ.वि.वि.नि.लि/प्र.नि./ मु.ले.अ.(रा.व नि.)/प. / प्रे. 2043 दिनांक 16.8.2012

## आदेश

निगम स्तर की समझौता समिति के समक्ष प्राप्त प्रकरणों से जानकारी में आया है कि उपभोक्ता का मीटर कई महिनों/ वर्षो तक बन्द एंव त्रुटिपूर्ण रहने के बावजूद उसे औसत उपभोग की बजाय शून्य उपभोग का विद्युत विपत्र भेजा जा रहा हैं। इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर है कि सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एंव बिलिंग ऐजेन्सी ने लंबे समय तक यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि उपभोक्ता विद्युत का उपभोग कर रहा है या नहीं। इस तरह की जानकारी के लिए बिलिंग ऐजेन्सी द्वारा शून्य उपभोग (Zero Consumption) का आउटपुट दिया जाता है। यदि इस आउटपुट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की जांच समय– समय पर कर ली जाती तो निगम को समय पर प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित नहीं होना पड़ता एंव दूसरी तरफ उपभोक्ता को भी एक साथ बढी हुई राशि के बिल जमा करवाने के कारण होने वाली अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

अतः संबंधित सभी अधिकारी एंव कर्मचारी, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक राजस्वं अधिकारी, लेजर कीपर एंव अन्य की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि आउटपुट रिपोर्ट के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की प्रतिमाह जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करें। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि ऐसे मीटर्स जो काफी समय से दोषपूर्ण या बन्द चल रहे है एंव जिनका पूर्व उपभोग प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहा है उनको तुरन्त बदला जाए। इस संबंध में निम्न निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है :–

1. शून्य उपभोग वाले उपभोक्ताओं के परिसर एंव मीटरों का निरीक्षण परिशिष्ठ– अ में दर्शाये अधिकारियों द्वारा हर माह नियमित रूप से किया जायेगा एंव तद्सम्बन्धी रिर्पोट भी अपने नियन्त्रण अधिकारी को लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।
2. सभी सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पिछले माह में शून्य उपभोग वाले उपभोक्ताओ/ मीटरों के निरीक्षण के प्रगति कि सूचना परिशिष्ठ– ब में दर्शित प्रारूप में अपने अधिशाषी अभियन्ता एंव अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित कि जायेगी।
3. सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अपने अधीनस्थ वृत की सूचना (उपरोक्त क्र.सं.–2 ) संकलित कर, समेकित सूचना प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निगम मुख्यालय को प्रेषित कि जायेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे एंव सभी सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ उपखण्डो में इस आदेश की पूर्ण रूप से पालना करवाने एंव तद्रनुसार बिलिंग हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(पी.एस.जाट)
प्रबन्ध निदेशक

243

164

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एंव पालना हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि संभागीय मुख्य अभियन्ता संभाग स्तर पालना सुनिशित करावें।

1. तकनीकि सहायक अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक डिस्कामस् जयपुर वास्ते सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ..............................
3. संभागीय व. लेखाधिकारी (राजस्व), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुनझुनु
4. अधिक्षण अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ..................................
5. लेखाधिकारी (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ..................................
6. अधीषाशी अभियन्ता (पवस/ ), अ.वि.वि.नि.लि............................
7. M/s Sar Technology, B-101, Vaishali Nagar, Jaipur.
8. M/s Aditi Computers, A-46, Vishwamitra Marg; Shyam Nagar, Jaipur.

मुख्य लेखाधिकारी (रा. व नि.)